

मूक पात्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 02 अंक – 334 बेमेतरा, गुरुवार 30 जुलाई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज – 08 मूल्य – 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री ने रजत पदक विजेता सर्वेश कुशारे को दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट सर्वेश कुशारे को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इस उपलब्धि को भारतीय खेल जगत के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए सर्वेश के दृढ़ संकल्प, निरंतर मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वेश कुशारे ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, समर्पण और निरंतरता के बल पर हासिल की गई यह सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सामाजिक माध्यम एक्स पर जारी अपने संदेश में लिखा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सर्वेश कुशारे ने शानदार रजत पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि सर्वेश का दृढ़ संकल्प और निरंतरता अत्यंत सराहनीय रही है तथा यह उपलब्धि उनके अथक प्रयासों का परिणाम है।

परभणी-मुदखेड़ रेलखंड पर ट्रेवशन प्रणाली के उन्नयन को मंजूरी

नई दिल्ली। भारतीय रेल ने रेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड मंडल के परभणी मुदखेड़ दोहरी रेल लाइन खंड पर विद्युत कर्षण (ट्रेक्शन) प्रणाली के उन्नयन की परियोजना को मंजूरी दे दी है। 163 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में विद्युत आपूर्ति अवसंरचना के आधुनिकीकरण का कार्य भी शामिल है। परियोजना के तहत 164 ट्रेक किलोमीटर लंबे रेलखंड पर वर्तमान 1म25 केवी विद्युत कर्षण प्रणाली को अत्याधुनिक 2म25 केवी प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही बढ़े हुए विद्युत भार को सुचारु रूप से संभालने के लिए आधुनिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। परभणी मुदखेड़ रेलखंड रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उच्च उपयोगिता नेटवर्क (हाई यूटिलाइज्ड नेटवर्क) रूट-9 का हिस्सा है।

तलाक के आदेश के बाद पति की मौत, फिर भी नहीं छीनेगा पत्नी का अधिकार

अहमदाबाद। फैमिली कोर्ट से तलाक का आदेश मिलने के बाद यदि पति की मौत हो जाती है, तो भी पत्नी का कानूनी हक खत्म नहीं होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने शादी, तलाक और विरासत के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के मुताबिक, तलाक के मामलों में बात सिर्फ शादी टूटने तक सीमित नहीं होती, इसका सीधा असर महिला की सामाजिक पहचान, विधवा के रूप में उसके कानूनी दर्जे और पति की संपत्ति में मिलने वाले हिस्से (विरासत के अधिकार) पर पड़ता है। इसलिए पति की मृत्यु के बाद भी कानूनी अपील बंद नहीं होगी, और हाई कोर्ट को अगर सही लगता है तो वह फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को पलट (रद्द) भी सकता है।

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हुआ बिल

लोकसभा में पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल

नई दिल्ली/ एजेंसी

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक-2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो गया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा कार्यवाही 30 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। वहीं बुधवार को चर्चा और हंगामे के बाद बिल पास हुआ। अब इस अपराध में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भाग लिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई बार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया।। भाषण के दौरान राहुल गांधी की 'इडियट' और 'अंधभक्त' और अमित शाह पर राहुल को गोली मारने के लिए आदेश देने का आरोप लगाया। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा किया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भड़क गए। उन्होंने राहुल गांधी से माफ़ी की मांग की। जबकि स्पीकर ओम बिरला को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। राहुल गांधी के बयान पर दो बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी के आरोपों का पीएमओ कार्यालय के राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस पर राजनीति करने का प्रयास हुआ, जो ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि संसद में राहुल गांधी का बयान गैरजिम्मेदाराना था। उन्होंने पूछा कि 152 पेपरलीक का आंकड़ा कहाँ से मिला। उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति लेकर आए, हमने मेडिकल कॉलेज



राज्यसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल, अपमान करने पर मिलेगी 3 साल की सजा

राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो गया है। इस संशोधन के तहत 'वंदे मातरम्' के अपमान से जुड़े नियमों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। इस नए कानून के लागू होने के बाद अगर कोई भी जानबूझकर 'वंदे मातरम्' का अपमान करता है या फिर राष्ट्रीय गीत में रुकावट डालता है तो उसको 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वंदे मातरम बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि बिल में किया गया संशोधन केवल एक विधायी बदलाव नहीं है। मंत्री ने कहा कि ये भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत तथा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। भाजपा सांसद विनोद तावड़े ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वंदे मातरम् का सम्मान, भारत का अभिमान। उन्होंने कहा कि जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी, प्रेरणा दी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया, उस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का गर्व के साथ पुण्य स्मरण करना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। विनोद तावड़े ने आगे कहा कि आज राज्यसभा में पारित हुआ 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने का मोदी सरकार के संकल्प को दिखाता है।



बढ़ाए, एमबीबीएस की सीटें बढ़ाईं।पीएम मोदी के लिए इडियट शब्द इस्तेमाल करने पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर कोई खुद को भी इडियट कहना चाहे, तो नहीं कह सकता। नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली के बुनियादी बिंदुओं की जानकारी का भी अभाव है। जब वो यह कहते हैं कि गृह मंत्री ने गोली चलाने का आदेश दिया और ऑर्थोटिकेट नहीं कर सके, तो यह आदेश मजिस्ट्रेट देता है। दूसरी बात, गोली चली ही नहीं, तो आदेश का सवाल ही नहीं पैदा होता।

फिर ये कहा कि गृह मंत्री के साथ 20 गाड़ियों का काफिला है। इतनी गाड़ियां गृह मंत्री के साथ कभी नहीं चलतीं। गृह मंत्री कभी भी विदेश नहीं गए। तथ्यों के बिना गैर जिम्मेदारी से बात कह देना और फिर निकल जाना, यह किसी जिम्मेदार नेता का व्यवहार हो ही नहीं सकता। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि 21 जुलाई को राहुल पीएम आवास के पास बैठ गए। प्रधानमंत्री बनने की हसरत पूरी नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि पीएम आवास के पास ही बैठ जाते हैं।

सरकार और सीजेपी के बीच बनी सहमति, बिहार-असम के बाद अब इस राज्य में भी कार्रवाई पर रोक

नई दिल्ली। नीट-यूजी गडबड़ियों और छात्र आंदोलन को लेकर सख्त तेवर अपना रही कॉंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अल्टीमेटम के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह हरकत में आ गई है। देर रात सरकार के प्रतिनिधियों और सीजेपी नेताओं के बीच हुई एक बेहद अहम और लंबी बैठक में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत देने पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। पार्टी ने दावा किया है कि इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद सरकार ने सफ़ भरोसा दिया है कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

भोपाल में किसानों का भारी बवाल!

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली/ एजेंसी

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे किसानों का जल्था अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के बाहर जुट गया है। कृषि मंत्री के बंगले के बाहर किसानों के अचानक जमावड़े और विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फ़ोर्स को तैनात किया गया है। धरना स्थल से आगे बढ़े आक्रोशित किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं पुलिस बल स्थिति को नियंत्रण में रखने और प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स के पीछे रोकने के लिए पूरी मशक़त कर रहा है। भोपाल में जारी किसान आंदोलन को युवाओं का भी समर्थन मिल रहा है।

बड़ी संख्या में जेन-जी प्रदर्शन में शामिल होकर किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखा रही है। वहीं, किसानों ने सरकार को 'सद्बुद्धि' देने की कामना के साथ हवन भी किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खेती की लागत और महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उनका आरोप है कि फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलने से किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों की एक समिति गठित की है। समिति के सदस्य किसान प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी मांगों और सुझावों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है,



लेकिन आंदोलन के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेशभर से आए हजारों किसान अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज

सुनने के बजाय उदासीन बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं का समाधान संवाद से होना चाहिए, न कि उनकी अनदेखी करके अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने

बताया कि मंगलवार को कृषि मंत्री किसानों से चर्चा के लिए गए थे और बुधवार को भी मंत्रियों व अधिकारियों का दल किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से ही निकलता है। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि किसानों की आवाज को राजनीति बताना आसान है।

कृषि मंत्री का पलटवार किसानों की आड़ में राजनीति न करे कांग्रेस

कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री एदल सिंह कंधाना ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की आड़ में राजनीति कर रही है और आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भोपाल की व्यवस्था को प्रभावित करना चाहती है, लेकिन इसमें सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और सरकार के दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं। कंधाना ने कहा कि वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने दोहराया कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान केवल संवाद से ही संभव है, टकराव से नहीं।

सीजेपी ने कोर्ट के आदेश पर जताई आपत्ति

अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी...

नई दिल्ली/ एजेंसी

कॉंकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई है। सीजेपी ने कहा है कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा, तो कॉंकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के जरिए इसका जवाब देगी. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि दिल्ली-एनसीटी और दूसरे राज्य दर्ज एफआईआर की जांच आगे बढ़ा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद



कॉंकरोच जनता पार्टी ने छात्रों के खिलाफसंभावित पुलिस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है. सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सीजेपी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफबड़ी चेतावनी दे डाली है. सीजेपी के फ़उंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर प्रदर्शन में शामिल

युवाओं को निशाना बनाया गया, तो एक बार फिर बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा. सीजेपी का कहना है कि यह निर्देश भारत सरकार द्वारा देश के युवाओं को 25 जुलाई 2026 को दिए गए उस पक्षे आश्वासन और गारंटी के बिल्कुल उलट है, जिसमें कहा गया था कि एफआईआर वापस ले ली जाएंगी. सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफदर्ज मामलों को वापस लेने और किसी भी छात्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना नहीं बनाने का भरोसा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि विरोध कर रहे ।

कोर्ट का आदेश- 19 सितंबर तक हाज़िर हो

मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी

नई दिल्ली। इस वक की बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। पंजाब के संगरूर को अदालत ने उनके खिलाफ 15 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने खरगे को 19 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। पीएफ्माई से बजरंग दल की तुलना करने पर कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है। खड़गे को अदालत में खुद पेश होकर जमानत लेनी होगी। दरअसल यह पूरा मामला 2023 का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन



खड़गे ने पीएफ्माई से बजरंग दल की तुलना की थी। बयान के खिलाफ संगरूर निवासी और बजरंग दल से जुड़े हितेश भारद्वाज ने शिकायत की थी। अब अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द किया मामला

11 साल पुराने इस केस में पूर्व पीएम मनमोहन को बड़ी राहत..

नई दिल्ली/ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल पुराने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में दिवंगत मनमोहन सिंह को कानूनी राहत दी। मनमोहन सिंह के खिलाफ समन को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाबीरा-II कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को समन करने वाले 2015 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआईकी क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने या उनके खिलाफ संज्ञान लेने का कोई ठोस आधार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाबीरा-



II कोल ब्लॉक आवंटन मामले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह और पांच अन्य लोगों को आरोपी के तौर पर बुलाने के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के 2015 के आदेश को रद्द कर दिया है। अपीलों को मंजूरी देते हुए, कोर्ट ने सीबीआई (सेंट्रल

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और कहा कि स्पेशल जज के पास उन्हें खारिज करने और अपराधों का संज्ञान लेने का कोई ठोस कारण नहीं था। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने गौर किया कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करने के बाद दो अलग-अलग क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थीं, जिन्हें स्पेशल जज ने खारिज कर दिया था। नतीजतन, शीर्ष अदालत ने 11 मार्च, 2015 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और मामले को गुण-दोष के आधार पर बंद कर दिया।

संपादकीय

नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर जिम्मेदारी तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन करना क्या ऐसी गतिविधि है, जिसके लिए विद्यार्थियों को बेरहमी से पीटा जाए या उनसे दुर्व्यवहार किया जाए?एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते अगर लोग सरकार की किसी कमजोरी पर सवाल उठाते हैं या अपने असंतोष को जाहिर करते हैं, तो क्या उन्हें चुप कराने के लिए पुलिस की बेलगाम सख्ती का

सहारा लेने को उचित ठहराया जा सकता है? यह सवाल नीट 2026 में प्रश्नपत्र लीक होने के मुद्दे पर खड़े हुए आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ पुलिस के रवैये के सामने आने के बाद उठा है, जिसमें यह विचार करने की जरूरत तक नहीं समझी गई कि क्या प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग आखिरी विकल्प था।अव्वल तो आंदोलनकारियों से संवाद के तकाजे को तरजीह नहीं दी गई। उसके बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में

नीट आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई ने खड़े किए बड़े सवाल ?

शामिल होने वालों के खिलाफ पुलिस ने जैसी सख्ती दिखाई, छात्र-छात्राओं की पिटाई की गई, उससे सरकार की मंशा और लोकतंत्र के प्रति उसके दायित्वों पर गहरे सवाल उठे हैं। इसी मुद्दे पर और जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मुंबई में हुए एक प्रदर्शन के दौरान कुछ विद्यार्थियों को एक पुलिसकर्मी ने आपत्तिजनक और गैरकानूनी तरीके से धमकी दी कि घर चले जाओ, नहीं तो जेब में ‘पाउडर’ डाल देंगे और फिर ज़िंदगी

भर परेशान रहोगे।सवाल है कि एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने भर के लिए विद्यार्थियों या किसी भी व्यक्ति को पुलिस ऐसी धमकी देती है, तो उसे कैसे देखा जाएगा? क्या यह एक ऐसी हरकत नहीं है, जिसकी आखिरी चोट कानून के शासन पर ही पड़ेगी? खासतौर पर जब कानून की रक्षा का दायित्व बलवाने वाला एक व्यक्ति ही बेहिचक गैरकानूनी धमकी दे रहा हो, तो इसके बाद किससे उम्मीद की

जाएगी?संभव है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकस रहना पुलिस की जिम्मेदारी के तहत जरूरी है, लेकिन अगर किसी पुलिसकर्मी की हरकत की वजह से ही कानून का शासन भंग होता हो, तो उसे कैसे देखा जाएगा? नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर जिम्मेदारी तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन करना क्या ऐसी गतिविधि है, जिसके लिए विद्यार्थियों को बेरहमी से पीटा जाए या उनसे

दुर्व्यवहार किया जाए? इसी तरह कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों के हंगामे और पुलिसकर्मीयों पर हमले को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।इस क्रम में एक गंभीर सवाल यह उठा है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर लाठी चलाने वालों में पुलिसकर्मीयों के अलावा ऐसे लोग कौन थे, जिनके पुलिस होने की कोई पहचान नहीं थी। उनमें से कई साधारण लोगों की तरह थे, तो कई की वदी पर उनकी नामपट्टी नहीं थी।

विदेशी शक्तियों और भितरघातियों की जुगलबंदी विफल

(डा. रवीन्द्र अरजरिया)

लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिक अधिकारों का मूल आधार होता है परन्तु जब असहमति की आड़ में विदेशी धन, अत्याधुनिक तकनीक और राष्ट्रविरोधी तत्वों का एक अतिआधुनिक ताना-बाना तैयार कर देश की संप्रभुता को चुनौती दी जाए तब यह विरोध नहीं बल्कि एक सुनियोजित छद्म-युद्ध बन जाता है। देश की राजधानी के जंतर-मंतर पर घटित हालिया घटनाक्रम इसी खतरनाक वैश्विक और आंतरिक जुगलबंदी का एक नया रूप था। इतिहास गवाह हैं कि विगत कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक व सामरिक प्रगति को बाधित करने के लिए ऐसी ही वैश्विक साजिशें बार-बार रची गई हैं परन्तु सुरक्षा एजेंसियों के अभेद्य समन्वय और सरकार की दूरदर्शी रणनीति ने इस चक्रव्यूह को एक बार फिर ध्वस्त कर दिया। जंतर-मंतर का घटनाक्रम कोई अचाक हूआ आंदोलन नहीं बल्कि इसके पीछे वही वैश्विक टूलकिट इकोसिस्टम सक्रिय था जिसका भंडाफोड़ सन् 2021 के कृषक आंदोलन के समय पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जैसे कनाडा आधारित संगठनों की भूमिका के दौरान हुआ था। सन् 2019-2020 के हांगकांग प्रदर्शनों में चीन विरोधी अभियानों के लिए ऐसा ही दृश्य सामने आया था। सन् 2020 के दिल्ली दंगों तथा शाहीन बाग प्रदर्शनों में भीड़ जुटाने के लिए भी ऐसे ही प्रयास किये

गये थे जिन्हें जंतर-मंतर पर पुनः दोहराया गया। इस बार पारंपरिक सोशल मीडिया पर एजेंसियों की कड़ी निगरानी को मात देने के लिए सुनियोजित योजना के तहत बिटचैट, व्जिजफाई और ब्रायर जैसे मेश-नेटवर्किंग और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्मस का सहारा लिया। ये ऐप्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के केवल वाई-फाई और ब्ल्यूटूथ के पीयर-टू-पीयर नेटवर्क पर काम करते हैं। इसका इस्तेमाल सन् 2019 के म्यांमार आंदोलन और बेलारूस के विरोध प्रदर्शनों में गोपनीय संदेश भेजने के लिए किया गया था। जंतर-मंतर पर भी इसी तकनीक के जरिए सीमापार के आकाओं द्वारा देश के अलग-अलग कोनों से आए असामाजिक तत्वों और स्लीपर सेल्स को रीयल-टाइम निर्देश दिए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि हालिया प्रदर्शनों के दौरान भ्रम और फजी खब्बे फैलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स वही थे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत विरोधी और भ्रामक जानकारी फैलाने में सक्रिय थे। गृह मंत्रालय और केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार विगत पांच वर्षों में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए के नियमों के उल्लंघन के कारण 6,000 से अधिक सॉटिंग एनजीओ और वैश्विक थिंक-टैंक के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसके बावजूद हवाला नेटवर्क और शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध धनराशि भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार झोंकी जा रही है। प्राथमिक जांच आख्या में स्पष्ट हुआ है कि जंतर-मंतर पर अराजकता फैलाने के लिए विदेशी फांडिंग का एक बड़ा हिस्सा शेल कंपनियों के माध्यम से जुटाया गया। इससे भी अधिक चिन्ता का विषय यह है कि इस तंत्र में सीमापार के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के डिजिटल विंग आतंकी के सहयोग ने भी अपनी घुसपैठ बना ली थी। यह वही खतरनाक नेटवर्क है जिसने सन् 1993 के मुंबई बम धमाकों से लेकर सन् 2008 के 26/11 के हमलों को अंजाम दिया था। विगत कई वर्षों से ये कश्मीर में अतिआधुनिक आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी इन्हीं संगठनों का हाथ रहा है। जंतर-मंतर प्रदर्शन की आड़ में देशव्यापी सांप्रदायिक दंगे भड़काना, सरकार को पंगु बनाना तथा बांग्लादेश-नेपाल की तरह ही तख्ता पलट करना था। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और वैचारिक खाद-पानी देने के लिए वही चेहरे निरंतर जंतर-मंतर पर

जंतर-मंतर का घटनाक्रम कोई अचानक हुआ आंदोलन नहीं था बल्कि इसके पीछे वही वैश्विक टूलकिट इकोसिस्टम सक्रिय था जिसका भंडाफोड़ सन् 2021 के कृषक आंदोलन के समय पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जैसे कनाडा आधारित संगठनों की भूमिका के दौरान हुआ था। सन् 2019-2020 के हांगकांग प्रदर्शनों में चीन विरोधी अभियानों के लिए ऐसा ही दृश्य सामने आया था। सन् 2020 के दिल्ली दंगों तथा शाहीन बाग प्रदर्शनों में भीड़ जुटाने के लिए भी ऐसे ही प्रयास किये गये थे जिन्हें जंतर-मंतर पर पुनः दोहराया गया। इस बार पारंपरिक सोशल मीडिया पर एजेंसियों की कड़ी निगरानी को मात देने के लिए सुनियोजित योजना के तहत बिटचैट, व्जिजफाई और ब्रायर जैसे मेश-नेटवर्किंग और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्मस का सहारा लिया।

मौजूद रहे जो 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुई हिंसक घटनाओं और भीमा कोरेगाव मामले से जुड़े अर्बन नक्सल नेटवर्क का हिस्सा थे। सत्ता की लिप्सा में अंधे कुछ राजनीतिक घटकों और असामाजिक-माफिया तत्वों ने इन देशविरोधी ताकतों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान किया। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त इन तत्वों का इतिहास हमेशा से राष्ट्रहित के विरोध में खड़ा होने का रहा है चाहे वह कश्मीर में धारा 370 के उन्मूलन का विरोध हो या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ झूठा भ्रम



फैलाकर हिंसा भड़काना। सन् 2020 में शाहीन बाग और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों में स्थानीय स्लीपर सेल्स, भड़काऊ भाषणों और हवाला फांडिंग के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया था जिस पर सुरक्षा एजेंसियों ने एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर वित्तीय रीढ़ तोड़ी थी। सन् 2021 के गणतंत्र दिवस पर लाल किला हिंसा के दौरान भ्रामक टूलकिट और सोशल मीडिया अफवाहों का सहारा लेकर ऐतिहासिक स्मारकों और राष्ट्रीय गरिमा पर प्रहार किया गया था जो फॉरेंसिक जांच और मुख्य साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी से बेनकाब हो चुका है। जंतर-मंतर का हालिया उपद्रव भी इसी शृंखला की अगली कड़ी थी जहां इंटरनेट रहित मेश-नेटवर्किंग ऐप्स और विदेशी फंडिंग के जरिए राष्ट्रीय प्रतीक क्षेत्र को निशाना बनाने की साजिश रची गई। हालिया घटनाक्रम पर नजर डालें तो काकरोच का जन्म अमेरिका की धरती से हुआ। डीप स्टेट ने साइबर दिग्गजों और नेटवर्किंग माफियों के साथ मिलकर विश्व में महात्वपूर्ण स्थान की ओर बढ़ते भारत के विरुद्ध षडयंत्र रचा। आतंकी संगठनों, विपक्षी दलों के संरक्षण प्राप्त अपराधियों, राष्ट्रदोही स्लीपर सेल, भितरघातियों सहित कट्टरपंथियों को सक्रिय किया गया। आंदोलन की शुरुआत में चन्द लोगों के साथ पूर्व आप पदाधिकारी अभिजीत भगवान दीपके को अचानक भारी समर्थन

और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए विधेयक, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक जैसे अनेक बिलों को रोकने हेतु विदेशी आकाओं के इशारे पर इस राष्ट्रदोही षडयंत्र को अमली जामा सड़क पर पहनाया गया किन्तु अभी सदत के अन्दर भी असंवैधानिक हरकतें देखने को मिलना बाकी है। 21वीं सदी में भारत के खिलाफ लड़े जा रहे इस पांचवीं पीढ़ी के युद्ध का मुकाबला केवल पारंपरिक पुलिस बल से नहीं बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता से ही किया जा सकता है। सरकार के इस कदम ने न केवल एक बड़े राष्ट्रीय संकट को टाला दिया है बल्कि दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता करने वाले किसी भी आंतरिक या बाहरी भितरघाती को बख्खाने वाला नहीं है। ऐसे में आम आवाम को स्वयं समूचे घटनाक्रम का वास्तविक विश्लेषण करना होगा जिसमें काट-छोट कर बनाये गये वीडियो, भ्रामक संदेश और अपुष्ट समाचारों को तिलांजलि और शब्दों का मर्म, भाषा की प्रस्तुतिकरण, हावभाव का अंदाज और उपस्थित लोगों के चेहरों पर गौर करना नितांत आवश्यक होगा। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी।

संघर्ष ही सफलता की असली कहानी, मंजिल नहीं, सफर को समझने की जरूरत

(मोनिका भाभ्भू कलाना)

जीवन एक ऐसा संग्राम है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। किसी के संघर्ष बाहरी दुनिया में होते हैं और किसी के अपनी भीतरी दुनिया में। दूसरे के दर्द और संघर्ष हमें दिखाई नहीं देते। हम उनके केवल परिणाम ही देख सकते हैं। इसीलिए अपना संघर्ष कभी न खत्म होने वाली नाउत्प्रेमी वैसा लगता है, लेकिन दूसरे का नहीं। कोई भी परिणाम एक लंबी यात्रा और दृढ़ का आखिरी पड़ाव होता है। वह एकदम घटित नहीं होता। उसके पीछे कठिन मेहनत, इच्छाशक्ति और कुछ करने की दृढ़ता छिपी रहती है।

जब हम सफलताओं के पीछे के वास्तविक संघर्ष से वाकिफ नहीं होते, तब सफलताएं किसी लंबी यात्रा का आखिरी सिरा नहीं लगकर चमत्कार सरीखी लगती हैं। आजकल के उपभोक्तावादी युग में, जब परिणामों को विज्ञापनों के माध्यम से भुनाना होता है, तो उन्हें उनके संदर्भों से काटकर प्रस्तुत किया जाता है। इससे वे वास्तविकता से अलग होकर थोड़े-से समय में हासिल की गई उपलब्धि लगने लगते हैं। वे रोमांचित करते हैं और थोड़ी-सी कोशिश से ही कुछ भी संभव कर लेने का भ्रम पैदा करते हैं।

जीवन में मेहनत के बिना कहीं कोई परिणाम नहीं होते। यहां चमत्कार एक लंबी प्रक्रिया में आकार लेते हैं। अपने सोचे हुए को हासिल कर लेना, उसे घटित होते हुए देखना ही दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है। ऐसे चमत्कारों तक पहुंचने में लंबा वक्त, अथक मेहनत और संघर्ष लगता है। इन चमत्कारों को घटित करने के लिए जरूरी है कि मनुष्य कोशिश करता रहे। उसे कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उस वक्त भी नहीं, जब उसे लगे कि अब झुक जाना चाहिए, क्योंकि झुककर भी उसे कुछ हाथ नहीं आता। जीवन के अंत तक अफसोस रखने से

जीवनमें मेहनत के बिना कहीं कोई परिणाम नहीं होते। यहां चमत्कार एक लंबी प्रक्रिया में आकार लेते हैं। अपने सोचे हुए को हासिल कर लेना, उसे घटित होते हुए देखना ही दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है। ऐसे चमत्कारों तक पहुंचने में लंबा वक्त, अथक मेहनत और संघर्ष लगता है। इन चमत्कारों को घटित करने के लिए जरूरी है कि मनुष्य कोशिश करता रहे। उसे कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उस वक्त भी नहीं, जब उसे लगे कि अब झुक जाना चाहिए, क्योंकि झुककर भी उसे कुछ हाथ नहीं आता। जीवन के अंत तक अफसोस रखने से अच्छा है कि हम अंत तक प्रयास करें। प्रयास करते रहने से मनुष्य अपने सोचे हुए से भी अधिक परिणाम प्राप्त कर सकता है, शर्त बस यही है कि वह कोशिशों के बीच अपने अहं को न लाए।



अच्छा है कि हम अंत तक प्रयास करें। प्रयास करते रहने से मनुष्य अपने सोचे हुए से भी अधिक परिणाम प्राप्त कर सकता है, शर्त बस यही है कि वह कोशिशों के बीच अपने अहं को न लाए। इतिहास के कई उदाहरणों में हम देखते हैं कि कोशिशें करते रहने से व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को ही नहीं, इसानी सीमाओं को भी पार करने में सफल हुआ

है। दरअसल, मनुष्य की क्षमताओं की सीमा तो है, लेकिन अंत नहीं। ये सीमाएं विस्तृत होती रहती हैं और इन्हें मनुष्य स्वयं अपने लिए विस्तृत करता है। चीजों और स्थितियों से गुजरकर ही मनुष्य न केवल उनका सत्य, बल्कि स्वयं का सत्य भी पहचानने की क्षमता अर्जित कर लेता है। किसी भी कार्य का परिणाम वही नहीं होता, जो सबको दिखता है।

वास्तविक परिणाम वह बदलाव और सोच होती है, जो किसी कार्य को करने के दौरान विकसित होती है।

जीवन में कुछ भी पीछे नहीं जाता। मनुष्य के लिए लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जहां हम हैं, उससे आगे का सोचने में ही फायदा है। जीवन में जीत कोई ऐसी स्थिर स्थिति नहीं है, जिसे एक बार हासिल करके छोड़ दिया जाए। इतिहास में हम देखते हैं कि पहली बार जीतने वाले लोग अंत तक नायक नहीं रह जाते। इतिहास हमें सिखाता है कि एक बार की जीत काफी नहीं, जीवन में कोशिश रोज करनी पड़ती है। जो हमने हासिल कर लिया है, अगर उसे बनाए रखने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो वह बचा नहीं रहेगा।

जिस तरह पराजय स्थायी नहीं है, उसी तरह कोई विजय भी स्थायी नहीं है। स्थायित्व सतत कर्मों की उस शृंखला से बनता है, जिसके लिए रोज प्रयत्न किए जाने की जरूरत होती है। मनुष्य को किसी भी प्रवृत्ति को स्थायी नहीं मान लेना चाहिए। चीजें आती हैं और बीत जाती हैं। जो उनसे टकराने की कोशिश करता है, वही बचा रहता है, अन्यथा समय उसे किनारे कर देता है।

कोई कितना ही महान कर्मी न हो जाए, हर व्यक्ति को रोज उठकर नई शुरुआत करनी ही पड़ती है। एक

सीमा के बाद थोड़ा-थोड़ा जुड़कर भी बहुत कुछ होने लगता है, लेकिन इन सबके पीछे एक-एक दिन की मेहनत और लगन होती है। कोई भी व्यक्ति अपने काम से जुनून की हद तक प्रेम किए बिना अपने क्षेत्र में शिखर तक नहीं पहुंचता।

जब तक सतत किए गए परिश्रम को देखना हम नहीं सीखेंगे, सफलताएं हमें चमत्कार या छद्मांग मालूम होती रहेंगी। अंततः प्रयास ही होते हैं, जो व्यक्ति को कहीं भी ले जा सकते हैं। हो सकता है कार्य में सफलता न मिले, लेकिन बिना प्रयास के तो सभी दरवाजे बंद ही होते हैं। प्रयास ही रास्तों को, दिशाओं को और हमारे दिमाग को खोलते हैं।

अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य परिणाम के बारे में प्रयासों की बजाय ज्यादा सोचता है। इससे दूसरों के साथ अपनी अपेक्षाओं का बोझ भी उस पर बढ़ता है। परिणाम पर दृष्टि केंद्रित करने की वजह से व्यक्ति अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। जब हम प्रक्रिया को जीने के बजाय केवल रास्ते की तरह देखते हैं, तब लक्ष्य हासिल कर लेने पर भी हम उसके साथ सहज नहीं हो पाते।

जीवन में कोई भी चीज लक्ष्य है ही नहीं, बस यात्रा है और इसी को जीना सीखना है। लक्ष्य एक छोटे-से समय में छोट्टा-सा बिंदु है, जो बदलता रहता है। इसलिए उसके प्रति हद से ज्यादा सतर्कता मनुष्य में विकृति पैदा करती है। कुछ न कुछ करते रहना मनुष्य का स्वभाव है। इसी सहजता के साथ मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। अपने ऊपर दबाव बनाकर किए गए कार्य से हुए हासिल की जीवन में क्या भूमिका होगी? किसी भी लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण चलते रहना है। चलते रहने से हासिल भी होता ही रहेगा। कुंवर नारायण के शब्दों में झूठ तम पाओगे कि कोई फल नहीं। सब कुछ जीत लेने में। और अंत तक हिम्मत न हारने में। अंत तक जुटे रहने में ही जीवन के कई आयाम खुलते हैं।

